श्रीमती चावली देवी, आदि बनाम भारत संघ (जस्टिस मित्तल)

आई. एल. आर. पंजाब और हरियाणा (1975) 2

सिविल अपील

जस्टिस बाल राज तुली और जस्टिस एस. सी. मितल के समक्ष

याचिककर्त्ता - श्रीमती चावली देवी आदि

बनाम

प्रतिवादी - भारत संघ आदि

1970 का एफ.ए.ओ. संख्या 152

7 अगस्त 1973

मोटर वाहन अधिनियम (1989 का चतुर्थ)-धारा 110-ए-सीमा अधिनियम (1963 का XXXVI)--धारा 6 (एल) और डी 29(2) दावा न्यायाधिकरण-क्या सीमा अधिनियम के प्रावधानों को आकर्षित करने के लिए एक 'न्यायालय' है - अधिकरण यदि न्यायालय नहीं है - धारा 29(2) परिसीमा, अधिनियम का लाभ, क्या इसके समक्ष दावेदार को दिया जा सकता है - आवेदन, धारा 110-ए के तहत, मोटर वाहन अधिनियम - क्या "मुकदमा" है - धारा के प्रावधान 6(1) परिसीमा अधिनियम - धारा 110-ए में - क्या वहां लागू है - पर्याप्त कारण शब्द '' - क्या उदारतापूर्वक समझा जाना चाहिए।

माना गया कि मोटर वाहन अधिनियम की धारा 110-ए के तहत दावा न्यायाधिकरण एक 'न्यायालय' है और सीमा अधिनियम के प्रावधानों को आकर्षित करता है। हरबंस सिंह वि. आत्मा सिंह और अन्य, 1966. पी.एल.आर. 371 को श्रीमती ने स्पष्ट रूप से खारिज कर दिया है। शांति देवी. और अन्य बनाम जनरल एम मैनेजर, हरियाणा रोडवेज। आई.एल.आर. 1971 (11) पी.बी. और हरियाणा 210--1971 पी.एल.आर 543. एफ.बी.

माना जाता है कि सीमा अधिनियम 1963 की अनुसूची धारा 110-ए मोटर वाहन अधिनियम के तहत आवेदन दाखिल करने के लिए विशेष रूप से कोई अवधि प्रदान नहीं करती है, लेकिन अनुसूची का अनुच्छेद 137, जो तीन साल की अवधि प्रदान करता है। उस समय से किसी अन्य आवेदन के लिए आवेदन करने का अधिकार अर्जित होता है जिसके लिए इस प्रभाग में कहीं और कोई सीमा अवधि प्रदान नहीं की गई है" धारा 110-ए मोटर वाहन अधिनियम के तहत एक आवेदन के मामले को कवर करने के लिए पर्याप्त व्यापक लगता है। यह मानते हुए कि सीमा अधिनियम इस तरह के आवेदन के लिए कोई प्रावधान नहीं करता है, मोटर वाहन अधिनियम की धारा 110-ए की उप-धारा 3 द्वारा निर्धारित सीमा की अवधि दुर्घटना की घटना से 6 महीने है, यह बताता है कि इस अधिनियम ने सीमा का प्रावधान किया है परिसीमा अधिनियम के अंतर्गत निर्धारित अवधि से भिन्न। इसलिए भले ही दावा

न्यायाधिकरण एक "न्यायालय" नहीं है, परिसीमा अधिनियम की धारा 29(2) के प्रावधानों का लाभ आवेदक को धारा 110-ए मोटर वाहन अधिनियम के तहत दिया जा सकता है।

माना गया कि धारा-29(1) परिसीमा अधिनियम के तहत अधिनियम की धारा 4 से 24 के प्रावधानों को किसी भी वाद अपील या आवेदन पर लागू किया गया है। इस अनुभाग में आवेदन शब्द धारा 110-ए मोटर वाहन अधिनियम के तहत आवेदन को कवर करने के लिए काफी व्यापक है। यह आवेदन अधिनियम के तहत बनाए गए नियमों द्वारा निर्धारित प्रपत्र पर होना चाहिए और इसमें एक मुकदमे के सभी गुण मौजूद होने चाहिए। इसलिए धारा 6(1) सीमा अधिनियम के लाभ से उन नाबालिगों को इनकार नहीं किया जा सकता है जो धारा 110-ए मोटर वाहन अधिनियम के तहत आवेदन करते हैं।

माना गया कि धारा 110-ए मोटर वाहन अधिनियम के प्रावधान में इस्तेमाल किए गए 'पर्याप्त कारण' शब्द को उदार निर्माण प्राप्त होना चाहिए ताकि पर्याप्त न्याय को आगे बढ़ाया जा सके, जहां दावेदार पर लापरवाही, कार्रवाई में कमी या सद्भावना का कोई गंभीर आरोप नहीं लगाया जाता है। यदि नाबालिग आवेदक परिसीमा अधिनियम की धारा 6(1) का सहारा लेने में असमर्थ हैं, तो उनके अल्पसंख्यक होने को धारा 110-ए मोटर वाहन अधिनियम के

तहत आवेदन दाखिल करने में देरी को माफ करने के लिए "पर्याप्त कारण" माना जा सकता है।

मामले को माननीय श्री न्यायमूर्ति एस. सी. मित्तल ने अपने आदेश दिनांक 24 फरवरी, 1972 द्वारा माननीय मुख्य न्यायाधीश को मामले में शामिल कानून के प्रश्नों पर निर्णय लेने के लिए एक बड़ी पीठ गठित करने के लिए भेजा था। माननीय श्री न्यायमूर्ति बल राज तुली और माननीय श्री न्यायमूर्ति एस. सी. मित्तल की खंडपीठ ने 7 अगस्त, 1973 के आदेश के तहत कानून के अनुसार गुण-दोष के आधार पर मामले को तय करने के लिए मामले को एकल पीठ को भेज दिया। श्री न्यायमूर्ति एस. सी. मित्तल ने अंततः 21 सितंबर, 1973 को मामले का फैसला किया और मामले को ट्रिब्यूनल को भेज दिया और पक्षों को 5 नवंबर, 1973 को अंबाला में ट्रिब्यूनल के सामने पेश होने का निर्देश दिया।

श्री जगमोहन लाल टंडन मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण अंबाला के 31 जुलाई 1970 के आदेश से पहली अपील में कहा गया कि याचिकाकर्ताओं द्वारा दायर मुआवजा आवेदन समय के भीतर नहीं था और इसके अलावा उन्हें सीमा के भीतर आवेदन करने और दावा याचिका खारिज करने से पर्याप्त कारण से रोका नहीं गया था।

अपीलकर्ताओं के लिए वकील एस.के. जैन और आई.एस. करेवाल।

प्रतिवादी नंबर 1 के लिए नौबत सिंह, जिला अटॉर्नी, हरियाणा।

आदेश

न्यायालय का निर्णय सुनाया गया:-

जस्टिस मित्तल —यमुनानगर रोड़, जगाधरी में हुए हादसे में फूल सिंह की मृत्यु 24 जनवरी, 1968 को हुई। चावली देवी, विधवा द्वारा भारत संघ के खिलाफ मुआवजे के लिए मोटर वाहन अधिनियम की धारा 110-ए के तहत एक आवेदन दायर किया गया था। मृतक की मां नंदो और उसका नाबालिग बेटा राज कुमार और उसकी नाबालिग बेटियां बाला देवी नरेशो और अंग्रेजो 29 मार्च 1969 को उठाई गई आपत्ति के परिणामस्वरूप भारत संघ, मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण अम्बाला (इसके बाद इसे "दावा न्यायाधिकरण" के रूप में संदर्भित किया जाएगा) ने निम्नलिखित मुद्दों का गठन किया।

(1) क्या दावा आवेदन समय के भीतर है?

(2) यदि अंक संख्या 1 आवेदकों के विरुद्ध तय किया गया है, तो क्या उन्हें समय पर आवेदन करने से पर्याप्त कारण से रोका गया था?

(2) दावा न्यायाधिकरण ने आवेदकों के खिलाफ दोनों मुद्दों का फैसला किया और उनके दावे को खारिज कर दिया। असंतुष्ट होकर उन्होंने वर्तमान अपील को प्राथमिकता दी। माना जाता है कि प्रमुख आवेदकों- चावली और नंदो ने सीमा समाप्त होने के बाद दावा दायर किया। इसलिए उनकी ओर से घातक दोष स्वीकार कर लिया गया।

(3) जहां तक ऊपर नामित नाबालिग आवेदकों के दावे का संबंध है, सीमा अधिनियम की धारा 6(1) के साथ पढ़ी गई धारा 29(2) की सहायता से राहत मांगी गई थी। हरबंस सिंह बनाम आत्मा सिंह और अन्य (1) में एकल पीठ के फैसले पर भरोसा करते हुए दावा न्यायाधिकरण ने "यह माना कि यह एक अदालत नहीं थी, बल्कि पर्सोना डेजिग्नेटा थी। इसलिए धारा 29(2) के प्रावधान लागू नहीं होते थे।

(4) जब यह अपील अकेले बैठे मेरे सामने आई, तो इसके बाद इस और अन्य न्यायालयों के अन्य निर्णयों पर चर्चा की गई। इस पर विचार करने पर, मैंने निम्नलिखित प्रश्नों को एक बड़ी पीठ को भेज दिया: -

(1) क्या हरबंस सिंह बनाम आत्मा सिंह और अन्य (1) को श्रीमती में पूर्ण पीठ के फैसले द्वारा खारिज कर दिया गया है। शांति देवी और अन्य बनाम महाप्रबंधक, हरियाणा रोडवेज (2),

और क्या दावा न्यायाधिकरण सीमा अधिनियम के प्रावधानों को आकर्षित करने के लिए एक "न्यायालय" है?

(2) यदि दावा न्यायाधिकरण एक न्यायालय नहीं है, तो क्या परिसीमन अधिनियम की धारा 29(2) के आधार पर, उक्त अधिनियम के प्रावधानों का लाभ दावेदारों को दिया जा सकता है?

(3) क्या मोटर वाहन अधिनियम की धारा 110-ए के तहत दायर किया गया आवेदन परिसीमा अधिनियम की धारा 6(1) के अर्थ के अंतर्गत "मुकदमा" है?

(4) यदि पूर्वोक्त आवेदन "मुकदमा" नहीं है, तो क्या दावेदारों के अल्पसंख्यक होने के आधार पर मोटर वाहन अधिनियम की धारा 110-ए के प्रावधान के तहत सीमा बढ़ाई जा सकती है?

(5) पहले प्रश्न के संबंध में, यह उल्लेख योग्य है कि हरबंस सिंह का मामला (1), (सुप्रा) फाजिल्का डबवाली ट्रांसपोर्ट कंपनी प्राइवेट लिमिटेड बनाम मदन लाल (3) में इस

(1) 1966 पी. एल. आर. 371

(2) आई. एल. आर. 1971 (11) पंजाब और हरियाणा 210=1971 पी.एल.आर. 543 (एफ.बी.)

(3) आई. एल. आर. 1968 (1) पंजाब और हरियाणा 625=1968 पी. एल. आर. 9

न्यायालय की एक डिवीजन बेंच द्वारा पीछा किया गया था। जिसमें यह माना गया कि मोटर वाहन अधिनियम के तहत मामले विशेष कार्यवाही में विशेष न्यायाधिकरण के पुरस्कारों से निपटते हैं और सिविल न्यायालयों को दिए गए अपील के अधिकार को सख्ती से समझा जाना चाहिए। इसलिए, लेटर्स पेटेंट के खंड एक्स के तहत अपील सक्षम नहीं है। इस प्रश्न का निर्णय बाद में श्रीमती में इस न्यायालय की पूर्ण पीठ द्वारा किया गया। शांति देवी और अन्य बनाम महाप्रबंधक, हरियाणा रोडवेज (2)। पूर्ण पीठ का गठन करने वाले विद्वान तीन न्यायाधीशों ने कहा: (1) धारा 110-डी के तहत दिए गए मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण के फैसले के खिलाफ दायर अपील में एक विद्वान एकल न्यायाधीश के फैसले के खिलाफ अपील लेटर्स पेटेंट के खंड एक्स के तहत निहित है। अधिनियम (2) दावा न्यायाधिकरण के समक्ष कार्यवाही का मध्यस्थता कार्यवाही से कोई संबंध नहीं है, "अवार्ड" शब्द का उपयोग "डिक्री" शब्द के पर्यायवाची के रूप में किया गया है और (3) दावा न्यायाधिकरण के समक्ष कार्यवाही स्पष्ट रूप से कार्यवाही से मिलती जुलती है एक सिविल न्यायालय और दावा न्यायाधिकरण सभी इरादों और उद्देश्यों के लिए समान कार्यों और कर्तव्यों का निर्वहन करता है और उसी तरीके से करता है जैसे कानून न्यायालय से करने की अपेक्षा की जाती है। दावा न्यायाधिकरण के समक्ष कार्यवाही मध्यस्थता कार्यवाही की प्रकृति में नहीं है और दावा न्यायाधिकरण, दावों का निपटान करते समय एक न्यायालय के रूप में कार्य करता है। यह उल्लेख करना

आवश्यक है कि फाजिल्का डबवाली ट्रांसपोर्ट कंपनी का मामला (3) (पूर्व) पूर्ण पीठ के समक्ष उद्धृत किया गया था, लेकिन इसे मंजूरी नहीं दी गई थी। हालाँकि पूर्ण पीठ के समक्ष हरबंस सिंह के मामले (1), (पूर्व) का कोई संदर्भ नहीं दिया गया था, फिर भी इसे अप्रत्यक्ष रूप से खारिज कर दिया गया है। उत्तरदाताओं के विद्वान वकील ने पूर्ण पीठ के फैसले के मद्देनजर इस निष्कर्ष का विरोध नहीं किया। प्रश्न तद्नुसार क्रमांक 1 का उत्तर सकारात्मक है।

(6) अब परिसीमा अधिनियम की धारा 29(2) की प्रयोज्यता पर आते हैं, जिसमें लिखा है:-

"जब कोई विशेष या स्थानीय कानून किसी मुकदमे, अपील या आवेदन के लिए अनुसूची द्वारा निर्धारित अवधि से भिन्न सीमा अवधि निर्धारित करता है, तो धारा 3 के प्रावधान इस तरह लागू होंगे जैसे कि ऐसी अवधि अनुसूची द्वारा निर्धारित अवधि थी और इस उद्देश्य के लिए किसी विशेष या स्थानीय कानून द्वारा किसी मुकदमे, अपील या आवेदन के लिए निर्धारित किसी भी सीमा अवधि का निर्धारण करने के लिए, धारा 4 से 24 (समावेशी) में निहित प्रावधान केवल उसी हद तक लागू होंगे, जिस हद तक, वे स्पष्ट रूप से नहीं हैं ऐसे विशेष या स्थानीय कानून द्वारा बाहर रखा गया है।"

अनुसूची विशेष रूप से मोटर वाहन अधिनियम की धारा 110-ए के तहत आवेदन दाखिल करने के लिए कोई अवधि प्रदान नहीं करती है। लेकिन अनुसूची का अनुच्छेद 137 जो "किसी

श्रीमती चावली देवी, आदि बनाम भारत संघ (जस्टिस मित्तल)

आई. एल. आर. पंजाब और हरियाणा (1975) 2

भी अन्य आवेदन के लिए आवेदन करने का अधिकार अर्जित होने के समय से तीन साल की अवधि प्रदान करता है जिसके लिए इस डिवीजन में कहीं और कोई सीमा अवधि प्रदान नहीं की गई है", मामले को कवर करने के लिए पर्याप्त व्यापक लगता है। भले ही प्रश्न को इस दृष्टिकोण से देखा जाए कि सीमा अधिनियम में आवेदन के लिए कोई प्रावधान नहीं है, फिर भी मोटर वाहन अधिनियम की धारा 110-ए की उप-धारा (3) द्वारा निर्धारित सीमा की अवधि छह है। दुर्घटना घटित होने के महीनों से यह पता चलेगा कि उपरोक्त अधिनियम में अनुसूची में निर्धारित अवधि से भिन्न सीमा का प्रावधान किया गया है। कौशल्या रानी बनाम गोपाल सिंह (4) इस दृष्टिकोण के संबंध में परिसीमा अधिनियम के प्रावधान केवल कार्यवाही पर लागू होते हैं । सिविल न्यायालयों में लंबित, आवेदकों के लिए विद्वान वकील ने आकर्षित किया के अधिनियमों की प्रस्तावना में प्रयुक्त भाषा पर हमारा ध्यान 1908 और 1963 की सीमा और तर्क दिया कि के प्रावधान परिसीमा अधिनियम, 1963 अब सभी मुकदमों और अन्य पर लागू करने का इरादा है जहां भी कार्यवाही की गई। परिसीमा अधिनियम की प्रस्तावना 1963 इस प्रकार है:-

"मुकदमों और अन्य कार्यवाहियों की सीमा और उससे जुड़े उद्देश्यों के लिए कानून को समेकित और संशोधित करने के लिए एक अधिनियम।"

(4) ए. आई. आर. 1964 एस। सी. 260.

1908 के पूर्व अधिनियम की प्रस्तावना इस प्रकार थी: __

“जबकि अदालतों में मुकदमों, अपीलों और कुछ आवेदनों की सीमा से संबंधित कानून को समेकित और संशोधित करना समीचीन है और जबकि सुखभोग और अन्य संपत्ति के स्वामित्व को कब्जे में लेने के लिए नियम प्रदान करना भी समीचीन है; इसे इस प्रकार अधिनियमित किया गया है: "

1963 के अधिनियम की प्रस्तावना में "न्यायालय" शब्द का लोप स्पष्ट है। यह भी प्रासंगिक है कि ऊपर उद्धृत धारा 29 की उपधारा (2) में "न्यायालय" शब्द कहीं भी नहीं है। ऐसा होने पर, यह नहीं माना जा सकता कि इसका आवेदन केवल न्यायालयों की कार्यवाही तक ही सीमित है। इसलिए, यह इस प्रकार है कि भले ही दावा न्यायाधिकरण को "न्यायालय" नहीं माना गया हो, धारा 29(2) के प्रावधानों का लाभ आवेदकों को दिया जा सकता है। प्रश्न संख्या 2 का उत्तर तदनुसार दिया गया है।

(7) अगले प्रश्न के निर्णय हेतु परिसीमन अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) का उद्धरण आवश्यक है। यह पढ़ा जाता है: -

"जहां मुकदमा दायर करने या डिक्री के निष्पादन के लिए आवेदन करने का हकदार कोई व्यक्ति उस समय पर है जब से निर्धारित अवधि को नाबालिग या पागल या बेवकूफ माना

जाना है, वह मुकदमा दायर कर सकता है या आवेदन कर सकता है विकलांगता समाप्त होने के बाद की वही अवधि, जो अन्यथा अनुसूची के तीसरे कॉलम में निर्दिष्ट समय से अनुमत होती।''

भारत संघ के विद्वान वकील ने तर्क दिया कि नाबालिग आवेदक अधिनियम की धारा 6(1) के तहत किसी भी राहत के हकदार नहीं थे क्योंकि यह "डिक्री के निष्पादन के लिए मुकदमा या आवेदन" पर लागू होता है। प्रस्तुतीकरण अस्थिर है, क्योंकि इस तरह की व्याख्या धारा 29 की उपधारा (2) में विशेष रूप से प्रदान की गई राहत को छीनने के समान होगी। धारा 4 से 24 (समावेशी) में निहित प्रावधानों को धारा 29(2) द्वारा स्पष्ट रूप से लागू किया गया है, विशेष या स्थानीय कानून में किसी भी प्रतिकूल बात के अधीन, किसी भी मुकदमे की अपील या आवेदन के लिए। धारा 29(2) में "आवेदन" का संदर्भ विचाराधीन आवेदन को कवर करने के लिए पर्याप्त व्यापक है। इस मामले का दूसरा पहलू यह है कि विचाराधीन आवेदन मोटर वाहन अधिनियम के तहत बनाए गए नियमों द्वारा निर्धारित प्रारूप में है और यह महत्वपूर्ण है कि आवेदन में एक मुकदमे की सभी विशेषताएं मौजूद हैं। इस कारण भी नाबालिग आवेदकों को धारा 6(1) का लाभ देने से इनकार नहीं किया जा सकता। मैं खुद को हयातखान और अन्य

बनाम मांगीलाल और अन्य (5) मामले में मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की डिवीजन बेंच द्वारा व्यक्त किए गए निम्नलिखित दृष्टिकोण से सम्मानजनक सहमति में पाता हूं:

"धारा 6 में आने वाला शब्द, 'मुकदमा' बहुत व्यापक अर्थ रखने में सक्षम है और इसमें नागरिक अधिकारों को लागू करने के लिए एक व्यक्ति द्वारा दूसरे के खिलाफ शुरू की गई कोई भी कानूनी कार्यवाही शामिल हो सकती है। इसलिए सीमा अधिनियम, 1963 की धारा 6 के प्रावधान, मोटर वाहन अधिनियम, 1939 की धारा 110-ए के तहत मुआवजे के आवेदनों पर लागू थे, जो एक मुकदमे की प्रकृति में थे।

(8) पूर्ववर्ती पैराग्राफ में दिए गए निर्णय के मद्देनजर प्रश्न संख्या 4 का उत्तर देने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन फिर भी यदि उचित होगा- उल्लेख करते हुए कि मोटर वाहन अधिनियम की धारा 110-ए की उपधारा (3) का प्रावधान इन शब्दों में है :-

बशर्ते कि दावा न्यायाधिकरण छह महीने की उक्त अवधि की समाप्ति के बाद आवेदन पर विचार कर सकता है, यदि वह संतुष्ट है कि आवेदक को समय पर आवेदन करने से पर्याप्त कारण से रोका गया था।

सीमा अधिनियम की धारा 29(2) में कहा गया है कि "धारा 4 से 24 (समावेशी) में निहित प्रावधान केवल उसी हद तक लागू होंगे जहां तक और जिस हद तक, उन्हें ऐसे विशेष या

(5) 1970 ए. सी. जे. 254.

स्थानीय कानून द्वारा स्पष्ट रूप से बाहर नहीं रखा गया है। "ऊपर उद्धृत प्रावधान किसी भी तरह से धारा 6(1) से कुछ भी बाहर नहीं करता है। जैसा कि न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, नई दिल्ली और अन्य बनाम पंजाब रोडवेज, अंबाला सिटी और अन्य (6) में इस न्यायालय की एक डिवीजन बेंच द्वारा आयोजित किया गया था, धारा 110-ए के परंतुक में "पर्याप्त कारण" शब्द का उपयोग किया गया था। 3) एक उदार निर्माण प्राप्त करना चाहिए ताकि पर्याप्त न्याय को आगे बढ़ाया जा सके जहां दावेदार पर कोई गंभीर लापरवाही या निष्क्रियता या सद्भावना की कमी का आरोप नहीं लगाया जाता है। जहां घायल व्यक्ति गंभीर चोटों के कारण आवेदन प्रस्तुत करने में असमर्थ है, वहां न्यायाधिकरण उचित रूप से आवेदन प्रस्तुत करने के लिए समय बढ़ा सकता है।

(9) जहां तक मामले का सवाल है, यदि नाबालिग आवेदक सीमा अधिनियम की धारा 6(1) का सहारा लेने में असमर्थ थे, तो मेरी राय में उनके अल्पसंख्यक होने को आवेदन दाखिल करने में देरी को माफ करने के लिए "पर्याप्त कारण" माना जा सकता था। प्रश्न संख्या 4 का उत्तर तदनुसार दिया गया है।

(6) ए. आई. आर. 1964 पंजाब 235.

श्रीमती चावली देवी, आदि बनाम भारत संघ (जस्टिस मित्तल)

आई. एल. आर. पंजाब और हरियाणा (1975) 2

(10) मामले को अब कानून के अनुसार निर्णय के लिए विद्वान एकल न्यायाधीश के पास वापस भेजा जाएगा ।

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा ।

अंकिता महाजन

प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी (Trainee Judicial Officer)

कैथल, हरियाणा